भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी

भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी में प्रति घंटे के निश्चित पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक चिकित्सा सलाहकार की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक गुवाहाटी (बैंक) द्वारा अनुबंध के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेशन रोड, पानबाजार, गुवाहाटी- 781001, असम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी – 781005 में बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) के **01 (एक) पद** (**अन्य पिछड़ा वर्ग**) को भरने के लिए संबंधित पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योग्य उम्मीदवारों के आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेशन रोड, पानबाजार, गुवाहाटी - 781001 में **22 जनवरी 2026 को शाम 05.00 बजे तक** या उससे पहले पहुँच जाना चाहिए।

2. **पात्रता, नियम और शर्तें:**

(i) आवेदक की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।

(ii) जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं।

(iii) आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में चिकित्सा का अभ्यास करने का न्यूनतम दो (2) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(iv) आवेदक की बैंक की औषधालय (डिस्पेंसरी) से 10-15 किलोमीटर के दायरे में औषधालय(डिस्पेंसरी) या निवास स्थान होना चाहिए।

(v) अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार का पारिश्रमिक वास्तविक घंटों के संदर्भ में तय किया निर्धारित शुल्क होगा और सर्व समावेशी होगा।

(vi) कार्य का अनुबंध 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए होगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने पर इसका कोई नवीनीकरण नहीं होगा।

(viii) पारिश्रमिक की दर और कर्तव्य (ड्यूटी) घंटे नीचे सारणीबद्ध हैं:

क्रम सं	औषधालय	समय/ कर्तव्य(ड्यूटी) के घंटे @	पारिश्रमिक
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक औषधालय(डिस्पेंसरी), मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेशन रोड, पानबाजार, गुवाहाटी, असम - 781001	बैंक के कामकाजी समय के दौरान प्रतिदिन 04 घंटे (सोमवार से शुक्रवार)	(i) ₹ 1000 /- प्रति घंटे पूरी संविदा अवधि यानि तीन साल के लिए लागू होगा। (ii) कुल देय मासिक पारिश्रमिक में से, रुपए 1000 / - प्रति माह की राशि को यात्रा खर्च के रूप में माना जाएगा। (iii) ₹1,000/- प्रति माह के मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति।

@ परिवर्तन के अधीन

(ix) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार रखता है और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप होने पर अपने विवेक से कर्तव्य(ड्यूटी) घंटे और औषधालय(डिस्पेंसरी) के स्थान में परिवर्तन कर सकता है।

(x) इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में **अनुलग्नक-III** के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को सील बंद लिफाफे में ऊपर निम्नलिखित लिखकर भेजा जाना चाहिए : -

"(निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार के पद के लिए आवेदन)"

चयन प्रक्रिया:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी प्रति घंटे के निश्चित पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर एक बैंक के चिकित्सा सलाहकार (बीएमसी) के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा।

(ii) सार्टलिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवारों के लिए बैंक साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक उन आवेदकों से कोई पत्राचार नहीं करेगा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

(iii) साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदक बैंक के मेडिकल सलाहकार (BMC) के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बैंक के साथ अनुबंध करने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षणों के अधीन होंगे। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत आवेदक को वहन करनी होगी।

(iv) पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को अनुबंध- I के अनुसार नियमों और शर्तों और अनुबंध -II के अनुसार आचरण संहिता की स्वीकृति और चिकित्सकीय रूप से सक्षम पाए जाने के अधीन नियुक्त किया जाएगा।

(v) चयनित आवेदक को प्रति घंटे के निश्चित पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर बैंक के चिकित्सा सलाहकार (BMC) के रूप में रखे जाने से पहले बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

****

अनुलग्नक-I

नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएं लेना – अनुबंध के नियम और शर्तें

<u>क. उत्तरदायित्व/कर्तव्य आदि</u>

1. आप भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) औषधालय(डिस्पेंसरी), मुख्य कार्यालय परिसर, (अनुलग्नक भवन) भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेशन रोड, पानबाजार, गुवाहाटी, असम - 781001 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी कॉलोनी, जीएस रोड, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी - 781005 में स्थित बैंक के कार्यालय की औषधालय(डिस्पेंसरी) में निर्धारित कर्तव्य(ड्यूटी) घंटों के लिए विज्ञापन के पैरा 2 (viii) में उल्लिखित (अथवा यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) इस शर्त के अधीन उपस्थित होंगे, कि बैंक छुट्टियों को छोड़कर तथा अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के अतिरिक्त औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा।

2. आप दौरे पर आने वाले बैंक के कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो औषधालय(डिस्पेंसरी) के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को नि:शुल्क सलाह देंगे, दवाएं लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन देंगे। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3. आप कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

4. आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली कर्तव्य(ड्यूटी) का निष्पादन करेंगे, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा कि भविष्य में आप जो योग्यता रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह आपको सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या ऊपर बताए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के साथ आड़े आता है, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस कारण कोई देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आती है और उसके लिए क्षतिपूर्ति करेंगे और हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेंगे। बैंक के चिकित्सा सलाहकार का दायित्व एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता का होगा और बैंक के एजेंट का नहीं होगा।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक औषधालय(डिस्पेंसरी) में आपके कर्तव्य(ड्यूटी) में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित कर्तव्य(ड्यूटी) भी शामिल होंगे: -

(i) छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें।
(ii) औषधालय(डिस्पेंसरी) में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा बैंक परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर उपस्थित मामलों में इलाज करना तथा उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना, चाहे आपके सामान्य कार्य समय के बाद ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाया गया हो।

(iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। सामान्यत: आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें।

(iv) महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाएगी। यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता संतुष्ट हो कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है।

6. बैंक द्वारा आवश्यकता सूचित किए जाने पर आप आवासीय परिसर में रहने वाले बैंक के किसी भी स्टाफ सदस्य से मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

8. आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आवास पर उनके द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क, इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो आप बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले किसी भी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के रूप में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेंगे।

10. आप बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे।

11. यदि बैंक के कर्मचारियों या उनके आश्रितों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो अस्पताल की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे।

12. आप कार्यालय परिसर/कर्मचारी आवास और अधिकारियों के आवास का महीने में एक बार या बैंक द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी अवधि का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा गया है।

13. जब भी आवश्यक हो, आप टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाएंगे और चेचक के लिए टीकाकरण करेंगे।

14. आप कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च या/और ऐसी अन्य तिथि के अनुसार एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचित किया जाएगा।

15. आप दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे और इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था भी करेंगे।

16. आप दवा मांगपत्र पर सलाह देंगे, और दवा स्टॉक-संतुलन और खपत की प्रति-जांच करेंगे जिसकी आवश्यकता होने पर आपको सूचना बैंक द्वारा दी जाएगी।

17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे जिसे आपको संदर्भित किया जाएगा।

18. आप बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में शामिल होंगे, जिसमें औषधालय(डिस्पेंसरी) सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है / उसे करने की आवश्यकता होती है। हृदय-संवहनी या अन्य प्रमुख आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, बीएमसी को रोगी के साथ अस्पताल जाना होगा, यदि वह स्थान पर उपलब्ध है।

19. यदि आप कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थित रहता है तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी।

20. आप **अनुलग्नक-II** में दिए गए बैंक के चिकित्सा सलाहकार की आचार संहिता का पालन करेंगे।

ख. पारिश्रमिक

बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए **₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से अनुबंध की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि** के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अलावा आप किसी भी अधिवर्षिता लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन औषधालय(डिस्पेंसरी) में उपस्थित होना आवश्यक हो तो रु.1000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

ग. अन्य प्रासंगिक विषय

i. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

ii. अनुबंध के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

iii. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक होने पर बैंक अपने विवेक से कर्तव्य(ड्यूटी) के घंटे और औषधालय(डिस्पेंसरी) के स्थान को बदल सकता है।

iv. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने के नोटिस पर या इसके एवज में ₹1000/- प्रति घंटे ओर प्रति बैंक कार्य दिवस की दर से तीन महीने के पारिश्रमिक के भुगतान पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। हालांकि, घोर कदाचार के मामलों में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है।

v. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद गुवाहाटी के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

अनुलग्नक-II

नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता

1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को, बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें स्वीकार करना होगा।

2. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता, बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी कर्तव्य(ड्यूटी) को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।

3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी कार्यों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा।

4. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में भाग नहीं लेगा।

5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबंध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि अनुबंध की शर्तों के विपरीत हो।

6. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो।

7. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा।

8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपने कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है।

10. चिकित्सा परामर्शदाता को:

i. जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;
ii. कर्तव्य(ड्यूटी) के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी कर्तव्य(ड्यूटी) के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए;
iii. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;
iv. नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;
v. मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है।

11. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होंगे , जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ रूप में ये आशय हों:

i. शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना,
ii. यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध,
iii. यौन संबंधी टिप्पणियां,
iv. अश्लील साहित्य दिखाना,
v. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, क़ानून/कानूनों में लागू ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या।

12. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

13. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी मरीज को रेफर करने, उसकी सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के रूप में कोई भी उपहार नहीं देगा, नहीं मांगेगा या नहीं लेगा और न ही देने, मांगने या लेने का प्रस्ताव देगा। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, सबोर्डिनेशन, रिबेटिंग, बंटवारे या धनवापसी के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे।

14. क्रम संख्या 13 में दिए प्रावधान उनके या किसी व्यक्ति द्वारा डायग्नोसिस उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/ कार्य के लिए नमूना या सामग्री द्वारा संदर्भित, सिफारिश या खरीद के लिए समान प्रभाव से लागू होंगे।

15. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंध की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह अनुबंध 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ निरस्त किया जा सकता है।

<u>अनुबंध - III</u>

अंशकालिक पद के लिए आवेदन
बैंक के चिकित्सा सलाहकार (अनुबंध के आधार पर)
प्रति घंटा के निश्चित पारिश्रमिक के साथ)
भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी

आवेदक के हस्ताक्षर के साथ हाल ही में पासपोर्ट आकार की फ़ोटो चिपकाएं

<table>
<tr><td>1.</td><td>पूरा नाम
(बड़े अक्षरों में)</td><td colspan="4">श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________________</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पिता/ पति का नाम</td><td colspan="4">श्री____________________________________</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3.</td><td>(क) पता</td><td colspan="2">निवास:</td><td colspan="2">चिकित्सालय:</td></tr>
<tr><td>(ख) फोन सं</td><td colspan="2">लैंडलाइन:</td><td colspan="2">मोबाइल:</td></tr>
<tr><td>(ग) ई-मेल आईडी</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>(घ) पता</td><td colspan="2">निवास स्थान से अनुमानित दूरी (किलोमीटर में)</td><td colspan="2">औषधालय से अनुमानित दूरी (किलोमीटर में)</td></tr>
<tr><td>(i) मुख्य कार्यालय परिसर में बैंक का औषधालय, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेशन रोड, पानबाजार, गुवाहाटी, असम - 781001</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी कॉलोनी, जीएस रोड, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी - 781005</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जन्म तिथि (जैसा कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दर्ज है) और आयु (विज्ञापन की तारीख के अनुसार)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>जन्म स्थान और अधिवास(डोमिसाइल)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>राष्ट्रीयता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td rowspan="2">वर्ग</td><td>अनुसूचित जाति</td><td>अनुसूचित जनजाति</td><td>अपिव</td><td>सामान्य</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="5">शैक्षिक योग्यता:</td></tr>
</table>

क्रम संख्या	डिग्री	विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत/वर्ग
9.	आवेदक द्वारा चिकित्सा में पूरा किए गए किसी अन्य पाठ्यक्रम का विवरण			
10.	अनुभव का विवरण (केवल स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद प्राप्त अनुभव बताया जाना चाहिए)			

क्रम संख्या	अनुभव	से	तक	अवधि	
				वर्ष	महीने
(क)	अस्पताल में (एक चिकित्सक के रूप में)				
(ख)	जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में				
11.	कोई अन्य कारक जो आवेदक अपने आवेदन पर विचार करने के लिए ध्यान में रखना चाहता है				

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी और विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/ समझती हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या झूठी है या यदि किसी भी भौतिक जानकारी या विवरण को दबा दिया गया है या छोड़ दिया गया है या मैं बैंक के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/ करती हूँ, तो मेरी उम्मीदवारी / कार्य पर रखना / नियुक्ति इसके बदले में नोटिस या मुआवजे के बिना रद्द / समाप्त कर दी जाएगी। मैंने विज्ञापन में दी गई शर्तों को पढ़ा और समझा है और इसके द्वारा उनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक:

निर्देश:

1. इस फॉर्म में सभी विवरण आवेदक द्वारा भरे जाने चाहिए।
2. जिन आवेदनों में वांछित पूर्ण विवरण नहीं हैं, वे अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।
3. आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के बारे में प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां। आवेदन के साथ होना चाहिए।
4. यदि उम्मीदवार किसी संस्थान के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, तो उसके विवरण और काम के घंटे भी दर्शाए जाने चाहिए।